

हिमाचल प्रदेश नए नगर (परिधि) नियन्त्रण (निरसन) अधिनियम, 1988

(1989 का अधिनियम संख्यांक 1)¹

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 04 फरवरी, 1989 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 07 फरवरी, 1989 को पृष्ठ संख्या 245 से 248 पर प्रकाशित किया गया)

दि हिमाचल प्रदेश न्यू टाऊन्ज (पैरीफेरी) कन्ट्रोल ऐक्ट, 1976 (1976 का 33) को निरसित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ।

1. **संक्षिप्त नाम.**— इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नए नगर (परिधि) नियन्त्रण (निरसन) अधिनियम, 1988 है।
2. **1976 के अधिनियम संख्यांक 33 का निरसन.**— दि हिमाचल प्रदेश न्यू टाऊन्ज (पैरीफेरी) कन्ट्रोल ऐक्ट, 1976 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

1. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 13 जनवरी, 1989 पृष्ठ संख्या 78 और 80 देखें।